

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या :: 129/2018

1. अशोक कुमार पिता शांतिलाल जाति पगारिया निवासी बेगू
2. पारस कुमार पिता देवीलाल जाति नाहर निवासी बेगू
3. सुनील कुमार पिता त्रिलोकचंद जाति कासलीलाल निवासी बेगू
4. चन्द्र प्रकाश पिता कन्हैयालाल जाति दशोरा निवासी बेगू
प्रार्थीगण

बनाम

श्री कालूलाल पिता भंवरलाल आचारज निवासी ब्रम्हपुरानी मोहल्ला
बेगू तहसील बेगू विपक्षीगण



उपस्थित :: श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री एस.एन.ईनाणी
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :- 22.01.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम खांसा का खेडा प.ह. बेगू में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की निम्न कृषि आराजीयात अवस्थित है जिस पर प्रार्थीगण ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार से है:-

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
11	136	0.380
	150	0.150
	374 / 146	0.310
	386 / 143 मी0	0.1150
	403 / 151 मी0	0.0080
	486 / 144	0.0080
	488 / 145	0.0890
	495 / 149 मी0	0.1870
	किता-08	1.110 हैक्टर

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 403/151 मी. रकबा 0.0080 हैक्टर (एक बिस्वा भूमि) स्थित है जो कृषि है जिसके पडोसी निम्न प्रकार से है: पूर्व में आम रोड तहसील से लेकर हायर सैकण्डरी स्कूल जाने का, पश्चिम में : वादी की शेष अन्य आराजी की भूमि, उत्तर में पास में स्थित कॉलोनी में जाने का रास्ता, दक्षिण में रामूदेवी पुत्री बंशीदास वैष्णव, जिसमें से प्रतिवादीगण 0.0060 हैक्टर भूमि कय करने बाबत बताया है। उक्त पालोस मध्य में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 403/151 मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि स्थित है इस भूमि पर प्रार्थीगण ने पत्थरों की कच्ची कोट करा रखी है, इस भूमि का फीट में नाम के हिसाब से उत्तर से दक्षिण (चौडाई) 22फीट, पूर्व से पश्चिम (लम्बाई) 39 फीट 08 इंच है।

यह कि दिनांक 06.07.2018 को आप विपक्षी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण के भूखण्ड पर जे0सी0बी0 मशीन को लाकर नीचे खोदना प्रारम्भ कर दिया, इस पर प्रार्थीगण को जानकारी मिली तो प्रार्थी ने विपक्षी को आकर अपना राजस्व खाता एवं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

नक्शा बताया और कहा कि यह भूमि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 403/151मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि है तो भी विपक्षी मानने को तैयार नहीं हुआ और जबरन ताकत के बल पर गाली गलौच करते हुए नीवें खुदवाली और नीवें भरना प्रारम्भ कर दिया। यह सम्पूर्ण कार्यवाही विपक्षी ने कानूनन हाथ में लेकर जबरन ताकत के बल पर की है जो पूर्ण रूप से खिलाफ कानून है। इस पर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 07.07.2018 को एक पंजीकृत सूचना पत्र भी विपक्षी को जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाया गया, जिसमें विपक्षी को आगाह किया गया था कि " आप द्वारा जबरन चलाया जा रहा निर्मा कार्य प्रार्थीगण की आराजी संख्या 403/151 मी रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि पर चलाया जा रहा है जिसे आप तुरन्त बन्द कर दें अन्यथा आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। सूचना पत्र विपक्षी को उक्त दिनांक 07.07.2018 को ही प्राप्त हो गया, जिसका कोई प्रत्युत्तर विपक्षी ने प्रार्थीगण को या प्रार्थीगण के अधिवक्ता को नहीं दिया है वरन मौखिक रूप से प्रार्थीगण को कहा कि मैंने तो कब्जा कर लिया है तुम्हारे में जो ताकत हो वह कर लेना, इसलिए प्रार्थीगण को विपक्षी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व कब्जेयाबी हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। खातेदारी एवं कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है।

यह कि विपक्षी ने दिनांक 06.07.2018 को जबरन कानून हाथ में लेकर ताकत के बल पर प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी संख्या 403/151 मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि पर अनाधिकार अतिक्रमण करने के लिए जे0सी0बी0 मशीन लाकर नीवें खुदवाना शुरू कर दिया और समझाने पर भी नहीं माने तथा दिनांक 07.07.2018 को पंजीकृत सूचना पत्र दिए जाने और विपक्षी को प्राप्त हो जाने पर भी कार्य नहीं रोके जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है, तथा यदि विपक्षी मौके पर कृषि भूमि पर गैर कृषि प्रयोजन के उद्देश्य से निर्माण कार्य कर लेता तो प्रार्थीगण को कानूनी एवं आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसका अर्थ में पूर्ति असंभव है इसलिए विपक्षी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, कि आराजी संख्या 403/151 मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की भूमि है तथा कृषि भूमि है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य विपक्षी न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें, तथा विपक्षी ने ताकत के बल पर जबरन जो जे0सी0बी0 मशीन लाकर मौके पर कृषि भूमि पर नीवें खोदकर भर रहा है, उसे वापिस हटाया जाकर भूमि को कृषि भूमि के स्वरूप की ही बनाई जाने हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षी ने जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर नीवें खोदी है व कब्जा कर रहा है इसलिए प्रार्थीगण को विपक्षी से कब्जा वापिस दिलाया जावे एवं भविष्य में विपक्षी प्रार्थीगण की इस आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या दखलंदाजी नहीं कर इस हेतु भी विपक्षी को पाबन्द फरमाया जाने हेतु विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की भूमि है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्यो कि प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान आप से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान कराया जावें कि ग्राम खासा का खेडा की आराजी संख्या 403/151मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि जिसके पडोस प्रार्थना पत्र में अंकित है इन पाडोस मध्य की उक्त वर्णित आराजी भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व राजस्व की कृषि भूमि पर विपक्षी किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न करावें एवं जो निर्माण कार्य जबरन ताकत के बल पर कर लिया है उसे भी वापस हटवाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री एस.एन. ईनाणी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए

न्यायालय के न्यायाधीश
(न्यायालय के न्यायाधीश)
श्री (निर्वाहक)

जवाब प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीगण का द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होकर खारिज होने योग्य है। वाद के निस्तारण तक मुझे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर कोई कृषि भूमि न होकर आबादी क्षेत्र है और भूखण्ड कटे हुए है, जिस में से अधिकांश में मकानों का निर्माण हो चुका है। मौके पर आराजीयात की कोई शकल नहीं है। आराजी नं० 403/151 मीन के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नक्शों के बारे में प्रार्थीगण को ही प्रमाणित करना है, किन्तु जहां तक आराजी नं० 151 मी० का प्रश्न है, रकबा 0.013 हैक्टर मु. रामूदेवी की थी, जिसमें से 650 वर्गफीट भूमि रामूदेवी द्वारा मुझे पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेची गई, जिसको नियमानुसार आबादी हेतु परिवर्तन करा कर मैंने नगर पालिका, बेगू से बापी पट्टा प्राप्त किया एवं नगर पालिका द्वारा नियमानुसार स्वीकृत प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू किया जिसमें छत लेवल तक निर्माण कार्य हो चुका है। ये ही नहीं नगर पालिका की एन.ओ.सी. ली एवं मेरा पट्टा व विक्रय विलेख के आधार पर मुझे नल व बिजली की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है और मेरे इस भूखण्ड से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है, अपितु मैंने तो नियमानुसार कृषि भूमि खरीद कर रूपान्तरण करा कर पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थीगण ने गलत पडौस अंकित किये हैं। क्यो कि इन पडौसों में वर्णित प्रार्थीगण की कोई भूमि नहीं है। मेरे स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि रामूदेवी द्वारा मुझे विक्रय की गई है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर स्वीकार नहीं है। आराजी नं० 403/151मी० का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है और न ही कोई पत्थरों की कच्ची कोट ही है। अपितु रामूदेवी की आराजी के पडौस में तो कॉलोनी कट चुकी है और मकान बने हुए हैं। मैंने अपने आबादी में रूपान्तरित भूखण्ड पर निर्माण कार्य शुरू किया जिसका मुझे पूरा अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा कोई रोक-टोक करने अथवा मेरे द्वारा कोई लडाईं झगडा करने अथवा गाली गलौच करने की बात भी काल्पनिक है। मैं अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड पर नियमानुसार निर्माण कार्य करा रहा हूँ। मेरे द्वारा कानून हाथ में लेने व ताकत का प्रयोग करने की बात पूर्णतया मिथ्या है और कोई विवाद होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वामित्व की जगह पर निर्माण कार्य कर रहा हूँ। जिसक लिए नगरपालिका से नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मिथ्या सूचना पत्र दिलवाया गया जिसका मुझे विपक्षी ने नियमानुसार प्रत्युत्तर दिया गया। प्रार्थीगण का यह कथन मिथ्या है कि मैंने सूचना पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया हो, अपितु प्रार्थी गण के अभिभाषक श्री कैलाशचन्द्र धाकड को पंजीकृत पत्र द्वारा दिनांक 23.07.2018 को प्रेषित कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। वाद ग्रस्त भूखण्ड मेरा खरीद शुदा होकर आबादी में परिवर्तित है, जिस पर मैं नगर पालिका की स्वीकृति व अनुमति से निर्माण कार्य कर रहा हूँ। वह कृषि भूमि नहीं है। प्रार्थीगण ने न्यायालय आप में गलत वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है क्यो कि कृषि भूमि का कोई विवाद नहीं है। मेरा भूखण्ड आबादी में परिवर्तित है।

जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मैं अपने कयशुदा एवं आबादी में परिवर्तित भूखण्ड पर नगर पालिका की स्वीकृति से निर्माण कार्य कर रहा हूँ। मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण करने का प्रश्न ही नहीं है और न ही प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का ही प्रश्न है। क्यो कि मेरे भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का ही प्रश्न है। प्रार्थीगण की कौन सी आराजी है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो रामूदेवी द्वारा उसके खातेदारी की भूमि में से खरीद शुदा भूमि को आबादी में परिवर्तित करा कर नगर पालिका से स्वीकृति लेकर निर्माण कार्य कर रहा हूँ। मेरे विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रश्न ही नहीं है और इस तरह की किसी निषेधाज्ञा जारी करने से मुझे अपूरणीय क्षति होगी। मैं बरबाद हो जाऊंगा मेरा निर्माण कार्य बाधित होगा और सारा मटेरियल खराब हो जावेगा। जबकि प्रार्थीगण का मेरे भूखण्ड पर कोई अधिकार नहीं है न ही उनका


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड प्रशासकी)
बेगू (विवाहक)

कब्जा रहा है। प्रार्थीगण स्वयं मेरा कब्जा होना और मेरे द्वारा नीवें खोद कर निर्माण कार्य करना भी स्वीकार करते हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने कब्जेयाबी की सहायता चाही है जबकि वादपत्र निषेधाज्ञा का ही प्रस्तुत किया है और कोर्ट फीस मात्र 2/-रूपये ही दी है और चूंकि यह भूमि आबादी भूमि है जिससे इस के बाबत वाद एवं आवेदन सुनने का न्यायालय आप को कोई अधिकार नहीं है और प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन होने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है, न ही उन्हें कोई अपूरणीय क्षति है और न ही उनके पक्ष में कोई सुविधा संतुलन है, अपितु आबादी भूमि से संबंधित होने से यह वाद एवं आवेदन न्यायालय आपके श्रवण करने योग्य भी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी ने प्रार्थीगण की आराजी संख्या 403/151 रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, विपक्षी द्वारा दक्षिण भूमि रामदेवी से खरीद की आराजी 151मी. रकबा 0.0060 हैक्टर भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है साथ ही विपक्षी ने उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत प्रार्थीगण ने विपक्षी को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तथा लडाई झगडा व गाली गलौच की साथ ही धमकी दी कि तुमसे हो जो कर लेना, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उनके अधिवक्ता के मार्फत एक लिगल नोटिस भी विपक्षी को दिया गया किन्तु उन्होंने उक्त नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, इस प्रकार यदि विपक्षी द्वारा हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी संख्या 403/151 पर अतिक्रमण कर लिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन अर्थ में संभव नहीं है साथ ही साथ वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि होने से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सिद्ध होकर सुविधा का सतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम खांसा का खेडा की आराजी संख्या 403/151 मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि जो प्रार्थना पत्र वर्णित पडोस के मध्य स्थित है कि भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काशत व राजस्व कृषि भूमि पर विपक्षी किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न करावें एवं जो निर्माण कार्य जबरन ताकत के बल पर कर लिया है उसे भी वापिस हटवाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि का विपक्षी को कोई लेना देना नहीं है, विपक्षी ने तो आराजी संख्या 151 मी रकबा 0.0060 हैक्टर भूमि को रामदेवी से जरिये पंजीकृत बिक्रय विलेख से क्रय कर क्रयशुदा भूमि का संपरिवर्तन कराते हुए नियमानुसार नगरपालिका से निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति प्राप्त करते हुए ही निर्माण कार्य किया है, विपक्षी द्वारा खरीदशुदा भूमि में प्रार्थीगण की कोई भूमि नहीं है, प्रार्थीगण ने मिथ्या दावा व प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, विपक्षी का कब्जा उनके द्वारा खरीद की गई भूमि पर होकर ही निर्माण किया गया है, प्रार्थीगण नाजायज तरीके से विपक्षी को परेशान कर विपक्षी का निर्माण कार्य बाधित करना चाहते हैं, यदि विपक्षी को पाबंद किया गया तो विपक्षी को आर्थिक क्षति होगी जबकि विपक्षी प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है, प्रार्थीगण गलत तथ्य अंकित कर रहे हैं, मौके पर वर्तमान में कोई भी कृषि भूमि स्थित नहीं है बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात पर आवासी कॉलोनी निर्माण कार्य किया जा रहा है, काफी संख्या में मकान बन चुके हैं और प्रार्थीगण की कोई कृषि आराजी मोके पर नहीं है। भूखण्ड उक्त वर्णित आराजीयात में स्थित है। विपक्षी द्वारा उसके क्रयशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाने हेतु विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से


अधिवक्ता
(अधिवक्ता)
बेन (विभागाध्यक्ष)

पाबन्द करा पाने का अधिकार नहीं रखते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने व उस पर गहन मनन किये जाने पश्चात प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निस्तारण हम प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार निम्न प्रकार करते है:

1- प्रथम दृष्टया प्रकरण :

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा खांसा का खेडा प0ह0 बेगू सम्वत 2069 से 2072 व संवत 2073-2075 के अवलोकन प्रार्थीगण आराजी संख्या 403/151मी. के खातेदार कृषक है, साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र भूखण्ड की प्रति का अवलोकन किया गया, उक्त विक्रयपत्र में रामूदेवी पिता बंशीदास बैरागी द्वारा क्रेता कालूलाल पिता भूवरलाल आचार्य को दिनांक 26.07.2005 को आराजी संख्या 151मी. रकबा 0.0130 हैक्टर भूमि मे से भूखण्ड पूर्व व पश्चिम की भुजा 25 फिट व उत्तर भुजा 26 फिट तथा दक्षिण भुजा 26 फिट कुल क्षेत्रफल 650वर्गफीट का पंजीकृत विक्रेय विलेख निष्पादित किया गया है, जो प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2061 से 64 में विपक्षी की खरीदशुदा भूमि का अंकन दर्ज है। विपक्षी द्वारा उक्त क्यशुदा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा पट्टा भी प्राप्त किया गया है जिसकी छायाप्रति विपक्षी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त क्यशुदा भूमि पर आवासीय निर्माण कराये जाने का निरापति प्रमाण पत्र भी विपक्षी द्वारा दिनांक 29.02.2016 को प्राप्त कर भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आराजी के छायाचित्र अनुसार निर्माण कार्य किये जाने के छायाचित्र प्रस्तुत किये है जबकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत छायाचित्र अनुसार उनकी क्यशुदा भूमि पर भूमि का रूपान्तरण करा निर्माण स्वीकृति नगरपालिका से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने के छायाचित्र प्रस्तुत किये है। नगरपालिका द्वारा निर्माण स्वीकृति उक्त भूखण्ड में ही दी गई है, प्रस्तुत दस्तावेज से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कर स्वयं के खरीदशुदा भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2- सुविधा का संतुलन ::

प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी संख्या 403/151मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि पर विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य जबरन चलाये जाने का तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अंकित किया है, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वर्ष 2005 में ही ग्राम खांसाकाखेडा की आराजी संख्या 151मी. मे से एक भूखण्ड 650वर्गफीट का पंजिकृत क्य कर उक्त भूखण्ड का नियमानुसार आवासीय रूपान्तरण कराते हुए भूखण्ड पर नगरपालिका से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड पर निर्माण कार्य सम्पादित किया गया है, प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 403/151मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि पर विपक्षी का निर्माण करवाया जाना सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3- अपूर्णीय क्षति ::

प्रार्थना पत्र वर्णित प्रार्थीगण की कृषि आराजी मौजा खांसाकी खेडा के आराजी संख्या 403/151मी. रकबा 0.0080 हैक्टर भूमि है, जबकि विपक्षी द्वारा आराजी संख्या 151मी. में से एक भूखण्ड 650 वर्गफीट का रामूदेवी से जरिये पंजीकृत क्य कर उक्त भूमि का ही आवासीय रूपान्तरण करा नगरपालिका से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कराया गया है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे कोई निर्माण कराया जाना प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थी को ही होगी।


इस प्रकार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करा पाने में प्रार्थीगण पूर्णतया

असफल रहे है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2020 को लिखया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



 22/1/2020
(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगू जिला चित्तौड़गढ़